न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/199/2017	12–12–2017	01–08–2019

1– दिल्लू पुत्र खिल्लू जाति मेव निवासी ग्राम मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।
2– सुब्बा पुत्र खिल्लू जाति मेव निवासी ग्राम मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।
3– सुभान पुत्र खिल्लू जाति मेव निवासी ग्राम मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1– तोली पुत्र गुमानी जाति जाटव निवासी मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0
2– तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर, राज0

–रेस्पाडेन्टान्

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ का निर्णय दिनांक 17.08.2017 अंतर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थितः–
01. श्री उमेश चन्द्र कौशिक –वकील अपीलान्टस
02. श्री प्रकाशचन्द सागर –वकील रैस्पॉडेन्ट सं. 1

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ के आदेश दिनांक 17.08.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 3037 रकबा 0.39, 3043 रकबा 0.43, 3048 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ से बेदखल कर कब्जा रैस्पो0 को दिलाये जाने से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रैस्पो0 द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ के समक्ष एक प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त खसरा नम्बरान का खातेदार है। उसके तीन लडके है। जिनमें से विश्राम व रूपाराम इस आराजी को सम्भालते है। दिनांक 20.08.2013 को प्रार्थी के पुत्र उक्त आराजी की सम्भाल करने खेत पर गये तो वहां पर कपास की फसल बोई हुई थी। इस बारे में जब अपीलांटान से पूछा गया तो गाली–गलोच करने लगे। उन्होनें हमारी आराजी पर नाजायज कब्जा कर लिया था। प्रार्थी अनुसूचित जाति के सदस्य है और अपीलांटान् स्वर्ण जाति के सदस्य है। प्रार्थी का कब्जा वापस दिलाया जावें। इस प्रा0पत्र के पेश होने के बाद हम अपीलांटान् को तलब किया गया। हमने प्रा.पत्र का जवाब प्रस्तुत किया तथा दोनों पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया। खसरा नम्बर 3037 रकबा 0.39, 3043 रकबा 0.43, 3048 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिनके पुराने साबिक खसरा नम्बर 2507/1 बीघा 11 बिस्वा, 2311/1 बीघा 10 बिस्वा, 2267/14 ऐयर वाके ग्राम मौजपुर में –

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

स्थित है। इस आराजी का खातेदार काश्तकार भोला खां था। जिनके पुत्र निवाज खां के हम अपीलांटान् पोते है। इस प्रकार विवादित आराजी हमारे पूर्वजों की है। संवत् 2020 में तहसील लक्ष्मणगढ का सैटलमेंट हुआ तो उक्त आराजी का सिवायचक घोषित कर दिया गया। इस सिवायचक आराजी में से कुछ हिस्सा अलोट कर दिया गया। परन्तु यह अलोटमेंट खाली कागजों पर ही किया गया। ना तो अलोटी को कब्जा दिया गया। ना ही अलोट की गई भूमि पर काश्त की गई है। इस विवादित आराजी पर हम अपीलांटान् का कब्जा चला आ रहा है। जब हम अपीलांटान् को उक्त आराजी के सिवायचक घोषित होने की जानकारी हुई तो हमारे द्वारा एक दुरूस्ती का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के यहां पेश किया गया। जो विचाराधीन है। उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने की नियत स हम अपीलांटान् के विरूद्ध दो प्रथम सूचना रिपोर्ट रैस्पो0 द्वारा पेश की गई। जिस पर रैस्पो0 तोलीराम के बयान हो चुके है। जिस बयान में तोली राम ने यह स्वीकार किया है कि इस विवादित आराजी पर दिल्लू उसका भाई व उसके पिता निवाज खां के समय से ही रहता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी पर तोली का कब्जा नहीं है। जमाबंदी संवत् 2011–12 में भी अपीलांटान् के दादा निवाज खां का नाम बतौर खातेदार दर्ज है व सवत् 2025–32 की खसरा गिरदावरी में भी उनका नाम अंकित है। इससे यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 तोली का इस आराजी से कोई संबंध नहीं है। केवल मात्र तोली की माता को यह आराजी अलोट की गई थी। अलोटमेंट की सारी कार्यवाही कागजो में ही की गई। अतः अपील अपीलांटान् स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार लक्ष्मणगढ का आदेश दिनांक 17.08.2017 निरस्त फरमाया जावें।

वकील रैस्पॉडेन्ट द्वारा अपील मे वर्णित तथ्यों को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटान् द्वारा गलत तथ्यों पर अपील पेश की गई है। विवादित आराजी रैस्पो0 के कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है। रैस्पो0 सं.1 गरीब वृद्ध एवं दलित अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। जिसके तीन पुत्र है। जिनमें से विश्राम व रूपाराम समय–समय पर उक्त आराजी का सम्भालते है व काश्त का इंतजाम करते है। दिनांक 20.08.2013 को रेस्पो0 विवादित आराजी पर गये तो अपीलांटान् विवादित आराजी पर मिले तथा विवादित आराजी पर कपास की फसल बोई पायी गयी। जब हमने उनसे पूछा कि हमारी कृषि भूमि पर कपास की फसल क्यों बोई गयी हैं तो अपीलांटान् द्वारा हमारे साथ गाली–गलोच व मारपीट की गई। जब हमने अपीलांटान् को कब्जा छोडने का कहां तो उन्होने कब्जा छोडने से इन्कान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.2017 को उक्त संबंध में विधिवत् निर्णय पारित कर रैंस्पो0 सं1 का उक्त विवादित आराजी पर दखल दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष पेश प्रा.पत्र 212 आरटीएक्ट को दिनांक 05.04.2016 को खारिज कर दिया गया। दिनांक 20.08.2013 को अपीलांटान् द्वारा रैस्पो0 सं. 1 के लडकों को गन्दी–गन्दी गालियां दी गई तथा जाति सूचक शब्द कहें। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना लक्ष्मणगढ में कराई गयी। आरोप साबित पाये जाने पर न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ के यहां आरोप पत्र पेश किया गया। जो विशिष्ट न्यायालय एससी/एसटी अलवर को प्राप्त हुआ। जिन तथ्यों से यह बखूबी साबित होता है कि रैस्पो0 सं. 1 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर अपीलांटान् द्वारा नाजायज व विधि विरूद्ध कब्जा किया गया है। विवादित आराजी पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा रेस्पो0 सं. 1 को–

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में मौके कब्जे अनुसार इन्द्राज किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलांटान् द्वारा आराजी मुतनाजा पर जबरन कब्जा किया गया है। जबकि आरटीएक्ट की धारा 183बी में स्पष्ट है कि कोई भी स्वर्ण वर्ग का व्यक्ति किसी भी एससी/ एसटी वर्ग के व्यक्ति की खातेदारी आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा व अतिक्रमण नहीं करेगा। यदि किसी खातेदार एससी/एसटी वर्ग के व्यक्ति से दबाव में/बहकावे में कोई अन्तरण करा लिया है या किसी एससी/एसटी वर्ग के विपरित होना स्वेच्छापूर्वक भी अन्तरण दस्तावेज स्वर्ण व्यक्ति के हक में लिख दिया है तो व अन्तरण अवैध होगा। तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा किया गया आदेश सही हैं विवादित आराजी पर कभी भी अपीलांटान् के बुजुर्गान का कब्जा नहीं रहा। अतः अपील अपीलांटान् मय हर्जा खर्चा खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन व लिखित बहस वकुलाय के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट द्वारा जबरन कब्जा किया हुआ है। जबकि वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार रैस्पॉ0 उक्त विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादित आराजी के संबंध में अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के यहां भी एक वाद दायर किया हुआ है जो विचाराधीन है। जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय होना है। चूंकि रैस्पॉडेन्ट एक अनुसुचित जाति का सदस्य है जिसकी खातेदारी आराजी पर स्वर्ण जाति के सदस्यों द्वारा जबरन कब्जा किया हुआ है। कानूनन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी की आराजी पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों का कब्जा गैरकानूनी है। अतः तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा किया गया निर्णय दिनांक 17.08.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील लेख भंडार हो।

निर्णय आज दिनांक 01–08–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

01/08/19

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)